

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

वशीराम

बनाम

श्रीमती लाल

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 219/2023

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

26/06/23

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती वशीराम

पिता श्री नागुराम जी भुवाया (रावल)

निवासी- माताजी की ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

माताजी की ओरडी स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 131 132
(प. ६. भरनिपाप) 0.2300 0.1300

133 141 145
0.1700 0.5400 0.1600

कुल कीता 5 कुल रकबा 1.2300 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

माताजी की ओरडी (पण्ड. भरनिपाप)

अतः प्रार्थी की ग्राम माताजी की ओरडी स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 131 132 133 141 145
0.2300 0.1300 0.1700 0.5400 0.1600

कुल कीता 5 रकबा 1.2300 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 10000.00 रुपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

रामचन्द्र खटीका

(रामचन्द्र खटीका)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़